जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

# JAWAB DO SARKAR ™

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2020/syst/01 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | शुक्रवार, 9 जुलाई 2021

# अपने पुराने वर्चस्व को पुनः स्थापित करने की कोशिश करता देवा गुर्जर!!!

## जिस जमीन पर हुई हत्या के आरोप मे पैरोल पर छूटा,उसी जमीन पर पुनः कब्जा करने का कर रहा प्रयास!!!

भाग-1

#Kota: एक बार फिर देवा गुर्जर के आतंक ...

... की थी 8 बीघा से अधिक जमीन....

BREAKING NEWS

इंडिया NEWS

UPDATE 29/06/2021

कोटा: एक बार फिर देवा गुर्जर के आतंक के साये में बूंदी का डाबी बरड़ क्षेत्र !

अब देवा ने गोपाल गौशाला बूंदी की मूंगफली की फसल पर हकाई करके किया कब्जा, राज्य सरकार ने गौशाला को आवंटित की थी 8 बीघा से अधिक जमीन, यहां पहले देवा के अवैध निर्माण को राज्य सरकार ने कराया था ध्वस्त, आज देवा गुर्जर के आतंक से त्रस्त लोग फरियाद लेकर पहुंचे कोटा रेंज आईजी के पास, हत्या, लूट, हत्या के प्रयास, डकैती समेत विभिन्न संगीन मामलों के 36 प्रकरण दर्ज हैं देवा पर



*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी
सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

कोटा रेंज पुलिस महानिरीक्षक से मिले लांबाखोह के मनोहर सिंह, परिवाद सौंपा

# श्री गोपाल गोशाला को आवंटित जमीन पर कब्जा करने से बढ़ा आक्रोश

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

**कोटा. बूंदी.** डाबी पटपडिया रोड पर स्थित श्री गोपाल गोशाला को आवंटित जमीन पर कब्जा करने के मामले को लेकर मंगलवार को गोशाला संचालक लांबाखोह निवासी मनोहर सिंह कोटा रेंज पुलिस महानिरीक्षक से मिले, उन्हें परिवाद सौंपा और गोशाला की उक्त जमीन से तुरंत प्रभाव से कब्जा हटाने की मांग रखी।

परिवाद में सिंह ने बताया कि गोशाला को आवंटित व जमीन क्रय की थी। साथ ही आस-पास की सिवायचक जमीन भी गोशाला के अधीन ही थी। इस जमीन पर श्योपुरिया की बावड़ी निवासी देवा गुर्जर एवं गुढ़ा निवासी कैलाश गुर्जर ने कब्जा जमा लिया। जमीन पर हंकाई कर दी।

यहां सिवायचक भूमि में से रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा भूमि श्री गोपाल गोशाला डाबी के आवेदन पर वर्ष 2005 में गोशाला के लिए बीस वर्षों की लीज पर आवंटित की गई थी। इसके बाद गोशाला प्रबंधन ने इसके समीप ही राज्य सरकार की ओर से गणेशपुरा निवासी रूपा रैगर को गैर खातेदारी आवंटित की गई 6 बीघा 17 बिस्वा तथा 1 बीघा 6 बिस्वा कुल 8 बीघा 3 बिस्वा भूमि इकरारनामे से वर्ष 2010 में गोशाला ने खरीद ली थी।

गोशाला प्रबंधन कुल 11 बीघा 18 बिस्वा जमीन पर खेती कर रहा था। गोशाला ने इस जमीन पर मूंगफली की फसल बोयी थी, लेकिन आरोपियों ने फसल को जबरन हंकवा दिया।

पत्र में हवाला दिया कि किस तरह इलाके के गरीब भीलों की जमीन पर धीरे-धीरे माफिया काबिज हो गए। उन्होंने बताया कि फिर से वैसे हालात पैदा नहीं हो, इसलिए पुलिस उच्च स्तरीय जांच कराने के साथ-साथ ही कब्जे को तुरंत प्रभाव से हटवाएं।

उन्होंने बरड़ क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियां बढ़ने की भी आशंका जताई है। उक्त पत्र की प्रति मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष एवं पुलिस महानिदेशक को भी भेजी गई।

**राजस्थान पत्रिका मे प्रकाशित खबर से साभार**

## क्या है पूरा मामला?

श्री गोपाल गोशाला के संचालक मनोहर सिंह द्वारा कोटा रेंज पुलिस महानिरीक्षक को दिये गए परिवादानुसार डाबी पटपड़िया रोड पर स्थित श्री गोपाल गोशाला की कुल 11 बीघा 18 बिस्वा जमीन मे से 3 बीघा 15 बिस्वा जमीन सरकार द्वारा वर्ष 2005 मे 20 साल के लिए लीज पर दी गयी थी इसके अतिरिक्त 6 बीघा 17 बिस्वा और 1 बीघा 6 बिस्वा कुल 8 बीघा 3 बिस्वा जमीन गोशाला प्रबंधन द्वारा रूपा रैगर से इकरारनामे के जरिये वर्ष 2010 मे खरीदी गयी थी|

इस जमीन पर बरसो से मूँगफली की फसल बोयी जा रही थी जिसे हाल ही मे देवा गुर्जर और कैलाश गुर्जर ने जबरन हंकाई करवा करवा दी|

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्ष 1992 मे इसी जमीन के लिए खूनी संघर्ष हुआ था,जिसमे किशन मेवाड़ा नाम के व्यक्ति की हत्या हो गयी थी,इसी व्यक्ति की हत्या के मामले मे देवा गुर्जर सजा काट रहा था और अभी पैरोल पर छूटा हुआ है|

## कौन है देवा गुर्जर??

देवा गुर्जर,वैसे तो इस शक्स को हाड़ोती,मेवाड़ क्षेत्र से बाहर अपने मंत्री पुत्र के नाम से परिचय करवाया जाता है|लेकिन हाड़ोती,भीलवाडा क्षेत्र मे देवा गुर्जर का अपना एक वजूद है और इसे इलाके मे खुद की पहचान देवा गुर्जर के नाम से ही ज्यादा जाना जाता है|देवा गुर्जर अपने अतीत को लेकर कई बार सुर्खियों मे रहा है|यह नाम एक बार फिर सुर्खियों मे है,इस बार सुर्खियों मे होने का कारण है गो शाला की इस जमीन पर कब्जे की कार्यवाही|

उपलब्ध जानकारी के अनुसार देवा गुर्जर के विरुद्ध वर्ष 1972 से लेकर 2010 तक 42 मामले दर्ज है जिनमे से 8 मे उसे सजा हो चुकी है|

यह मामला गर्माता देख,देवा गुर्जर के पक्ष द्वारा आनन-फानन से 12 गांवों की पँचायत बुलाने का दावा किया गया जिसमे बताया गया कि देवलाल चाँदना द्वारा वर्ष 2005 मे 15 साल के लिए 125 बीघा जमीन गोशाला को लीज पर दी गयी थी,आज मौके पर 15 बीघा जमीन भी नहीं है|उनके द्वारा उल्टा मनोहर सिंह पर ही जमीन पर कब्जा करने का दावा किया गया|

### गौशाला की जमीन मामले को लेकर 12 गांवों की पंचायत बुलाई

डाबी में गौशाला को लेकर बुलाई गई पंचायत में मौजूद लोग।

सुरेन्द्र सिंह सोलंकी,राजस्थान पत्रिका संवाददाता,डाबी. 9414595156

**पत्रिका न्यूज नेटवर्क**
patrika.com

**डाबी.** श्री गोपाल गौशाला की जमीन मामले को लेकर गुर्जर विकास संगठन के जिलाध्यक्ष देवलाल चांदना ने शनिवार को बरड़ क्षेत्र के 12 गांवों की पंचायत बुलाई। जिसमें चांदना ने लांबाखोह निवासी मनोहर सिंह हाड़ा की ओर से आइजी को उनके खिलाफ दिए परिवाद पर अपना पक्ष रखा, जिसमें परिवाद की निष्पक्ष जांच करने की मांग रखने का निर्णय किया गया।

इस दौरान पंचायत में चांदना ने कहा कि उन्होंने अपने स्वामित्व कब्जे की जमीन 10 साल के लिए गौशाला को लीज पर दी थी जो लीज अवधि अब पूरी हो गई। उन्होंने जमीन पर कब्जे होने का आरोप भी लगाया। साथ ही दावा कि यह जमीन गौशाला समिति ने उन्हें सौंप दी। सभी ने निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग रखी। इस दौरान उदयलाल गुर्जर, बूंदी सेंड स्टोन माइन्स ऑनर विकास समिति के उपाध्यक्ष नेवालाल गुर्जर, पंचायत समिति सदस्य नवरत्न गुर्जर, कैलाश गुर्जर, किसान संघर्ष समिति जिलाध्यक्ष संदीप पुरोहित आदि मौजूद थे।

इस मामले मे गोशाला की जमीन की आवाज उठाने वाले शक्ति सिंह हाड़ा द्वारा बताया गया कि यह सारा खेल पुरानी रंजिश मे बदला लेने के लिए खेला जा रहा है,देवा गुर्जर का सपना पुनः इस इलाके मे अपनी दहशत कायम करने का है|इसी के चलते इस जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है|इस जमीन के पीछे वन विभाग की जमीन चालू होती है इन लोगो के इरादे इस जमीन पर कब्जा कर अवैध खनन करने का है,जिनहे किसी भी हाल मे पूरा नहीं होने दिया जाएगा|

बहरहाल इस पूरे मामले मे पुलिस जांच ही तय करेगी कि किसके दावे मे कितनी सच्चाई है और किसके दावे मे कितना झूठ?

देवा गुर्जर का आपराधिक रेकॉर्ड

आपराधिक रिकॉर्ड देवा पुत्र मांगीलाल गुर्जर नि. श्योपुरिया की बावड़ी

| क्र.स. | मु.न. | धारा | चार्जशीट न. | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 245/72 | 307,324 ता.हि | 119/10.11.72 | बरी |
| 2 | 146/73 | 395,396,307 ता.हि | 39/25.04.74 | बरी |
| 3 | 171/73 | 307 ता.हि | 212/03.12.74 | सजा |
| 4 | 172/73 | 307 ता.हि | 154/28.11.73 | सजा |
| 5 | 262/86 | 147,307,323 ता.हि. व 3/25 आर्म्स एक्ट | 12/03.03.87 | सजा |
| 6 | 6/87 | 147,307,114 ता.हि | 96/03.09.87 | बरी |
| 7 | 14/87 | 147,149,323,341 ता.हि | 117/25.10.89 | |
| 8 | 27/88 | 147,451,148,114 ता.हि | 143/29.10.88 | बरी |
| 9 | 161/89 | 384 ता.हि. | 148/30.11.89 | बरी |
| 10 | 115/87 | 365,384 ता.हि | 127/31.10.87 | बरी |
| 11 | 257/97 | 365,323,34 ता.हि | | |
| 12 | 21/92 | 147,384,365 ता.हि | 16/31.03.93 | |
| 13 | 106/80 | 395,397,398,302,147,148,149 ता.हि | 78/09.11.80 | बरी |
| 14 | 67/86 | 451 ता.हि | 46/24.05.86 | बरी |
| 15 | 195/90 | 447 ता.हि. व 3 एससी/एसटी एक्ट | 192/07.12.91 | बरी |
| 16 | 10/91 | 3/25 आर्म्स एक्ट | 47/31.05.92 | सजा |
| 17 | 36/91 | 147,148,365,395 ता.हि | | |
| 18 | 71/91 | 447,341,323 ता.हि | 48/31.05.92 | |
| 19 | 83/91 | 307,341,3/25 आर्म्स एक्ट | 49/31.05.93 | |
| 20 | 140/92 | 147,148,149,307,325 ता.हि | 64/31.07.93 | सजा |
| 21 | 63/94 | 3/25 आर्म्स एक्ट | 42/29.05.92 | सजा |
| 22 | 148/94 | 447 ता.हि व 3 एससी एस टी एक्ट | 207/30.11.94 | बरी |
| 23 | 149/94 | 447,394 ता.हि व 3 एससी एस टी एक्ट | 228/11.12.94 | बरी |
| 24 | 497/96 | 307,341,342,323 ता.हि व 3 एससी/एसटी एक्ट | 05/31.01.97 | बरी |
| 25 | 39/73 | 395 ता.हि | 12/26.03.74 | |
| 26 | 51/73 | 395 ता.हि | 17/16.04.74 | बरी |
| 27 | 23/73 | 395,397 ता.हि | 21/16.04.74 | सजा |
| 28 | 115/80 | 379 ता.हि. | 101/16.12.80 | |
| 29 | 107/83 | 394 ता.हि. | | |
| 30 | 156/86 | 147,148,452, व 3/25 आर्म्स एक्ट | 34/14.07.87 | |
| 31 | 99/89 | 307 व 4/25 आर्म्स एक्ट | 100/31.10.89 | |
| 32 | 160/89 | 307 व 4/25 आर्म्स एक्ट | 161/31.09.89 | |
| 33 | 221/89 | 302,34 ता.हि. | 73/29.06.90 | सजा |
| 34 | 182/90 | 147,308 ता.हि | 193/07.12.91 | जुर्माना 2000 |
| 35 | 186/90 | 447 ता.हि | 15/14.02.91 | बरी |
| 36 | 187/90 | 447 ता.हि | 16/14.02.91 | बरी |
| 37 | 114/92 | 452,365 ता.हि | | |
| 38 | 100/97 | 91(6) एल आर एक्ट | 231/25.09.97 | बरी |
| 39 | 244/02 | 467,468,120 बी ता.हि | 476/17.12.04 | बरी |
| 40 | 230/05 | 467,468,481,420 ता.हि | 315/30.09.05 | |
| 41 | 43/10 | 147,148,149,342,365,307 ता.हि | 84/28.07.10 | |
| 42 | 252/07 | 420,467,468,471,470,166,201,128 ता.हि. व 30 आर्मस एक्ट | 264/24.10.07 | 173(8) जा.फौ. |

सरकार द्वारा लीज पर दी गयी जमीन के दस्तावेज़

100Rs

INDIA NON JUDICIAL

Rs 100

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

राजस्थान RAJASTHAN 948399

14 JUN 2005

**APPENDIX "A"**

**Lease deed**

This indenture made this 23rd day of Jun 2005 between the Governor of the State of Rajasthan hereinafter called the lessor of the one part and Shri Gopal Goshala Dabi (hereinafter called the lessee) or the Other part WITNESSE: that in consideration of the rent hereby reserved and of the covenants and agreementshereinafter containedon the part of the lessee to be paid, observed or performed, the State Goverment hereby grants and demises unto the lessee all that plot and parcel of land measuring approxi mately 3 bighas & 15 biswa ~~acres/bighas~~ in village Chant Ka Khara Tehsil Bundi District Bundi and hereinafter more particularly describedin Schedule A and shown in the plan attached herwith and coloured Red with liberties, powersand privileges to be exercised or enjoyed in connection there withwhich are mentioned in part I of these presents,reserving out of the demise unto the Goverment the liberties, powers and privileges mentioned in Part II of these presents. To HOLD the premeses hereby granted and demised unto the leese for the term of twenty five years with effect from and the lessee. hereby covenants with the lessee as in part IV extprssed and it is mutually agreed between the parties in part V of these presents.

In Witness where of these presents have been executed in mannar hereunder appearing the day and year first above written

Witness ..................

Address ..................

On behalf of the governor of the State of Rajsthan (Collector) Lessor

Witness ..................

Address ..................

उप पंजीयक, बून्दी

S/d ..................

गोपाल गौशाला समिति, दाबी

Lessee

Scanned with CamScanner

रूपा रैगर से इकरारनामे पर खरीदी गयी गयी जमीन के दस्तावेज़

राजस्थान RAJASTHAN पूर्व मे हुए नौकर [illegible] के [illegible] K 859882

इकरारनामा

जो कि मै रूपा आयु 65 साल आत्मज श्री भैरो लाल जाति रैगर निवासी गणेशपुरा हाल निवासी [illegible] जिला चित्तौड़गढ़ का रहने वाला हूं। ग्राम [illegible] का खेत तत्काल बुंदी [illegible] आराजी खसरा नं 4 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा, खसरा 32 रकबा 1 बीघा [illegible] कुल रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा स्थित है। वर्तमान समय मे यह आराजी राजस्व रिकार्ड मे मेरे नाम गैर खातेदार अंकित हो रही है। यह जमीन राज्य सरकार द्वारा मुझे नियमानुसार आवंटित की गई थी। आवंटन होने के पूर्व ही इस जमीन पर मेरा कब्जा चला आ रहा था। आवंटन के पश्चात् गैर खातेदारी के रूप मे मेरा कब्जा चला आ रहा है। कानूनी रूप से यह आराजी का मै खातेदार बन गया हूं लेकिन राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी दर्ज नही की गई है। खातेदारी दर्ज करने हेतु मेरे नियमानुसार राजस्व अधिकारियों के समक्ष कार्यवाही की हुई है।

मेरे गैर खातेदारी की उक्त आराजी के समीप ही श्री गोपाल गौशाला ग्राम - डाबी की जमीन है जिस पर गौशाला संचालित है। मेरी इच्छा [illegible] गौशाला के उत्थान में रही है। इस कारण से मै कई वर्षों से श्री गोपाल गौशाला के अधिकारियों से निवेदन करता रहा हूं कि मै जमीन को श्री गोपाल गौशाला को बेचा

.N.655
9/9/18

[illegible] — लगातार 2-

[illegible] NDRA NARANIWAL
NOTARY

9/9/18

Scanned with CamScanner

**12 गाँव की पंचायत के बाद जारी किया गया प्रेस नोट**

## प्रेस नोट

आज दिनांक 03/07/2021 को डाबी गोपाल गौशाला पर 12 गांव की पंचायत बुलाई गई। पंचायत गुर्जर विकास संगठन के जिला अध्यक्ष देवलाल चांदना ने बुलाई। पंचायत में लांबाखोह को निवासी मनोहर सिंह हाडा द्वारा दिए गए झूठे परिवाद की निष्पक्ष जांच कराने को लेकर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। बैठक में देवलाल चांदना ने पंचायत को बताया कि सन 2005 में डाबी निवासी केसरीमल, पारस जैन, लालचंद जंगम आदि उनसे मिले और गौशाला के लिए जमीन मांगी इस पर देवलाल चांदना ने अपने स्वामित्व कब्जे की 125 बीघा जमीन 10 साल के लिए गौशाला को लीज पर दी लीज की अवधि 2015 में पूरी हो गई और गौशाला समिति ने जमीन वापस देवलाल चांदना को समला दी। बैठक में उदय लाल गुर्जर डसालिया ने बताया कि जब गौशाला के लिए जमीन संभलाई उस समय मौके पर 125 बीघा जमीन संभलाई थी आज मौके पर 15 बीघा जमीन भी नहीं है। बूंदी सेंड स्टोन माइन आनर विकास समिति के उपाध्यक्ष नेवा लाल गुर्जर, पंचायत समिति सदस्य नवरत्न गुर्जर, पूर्व सरपंच डाबी रामनिवास गुर्जर ने बताया कि गौशाला की जमीन पर मनोहर सिंह हाड़ा द्वारा रलाव, मलवा डालकर कब्जा कर रखा है और अपने कब्जे को छुपाने के लिए देवलाल चांदना के खिलाफ झूठा परिवाद दिया है जिसकी निष्पक्ष व उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। बैठक में किसान संघर्ष समिति के जिला अध्यक्ष संदीप पुरोहित ने कहा कि मनोहर सिंह द्वारा परिवाद में कब्जे, चौथ वसूली के देवलाल चांदना पर झूठे आरोप लगाए गए हैं जिसकी जांच हो कर मानहानि का दावा करना चाहिए । गौशाला अध्यक्ष प्रकाश राठौड़ ने बताया कि गौशाला समिति द्वारा देवलाल चांदना के खिलाफ कोई भी परिवाद नहीं दिया गया है । और ना ही मूंगफली की फसल को हाका गया है। बैठक में भील समाज उपाध्यक्ष व सरपंच रामरतन भील, पूर्व सरपंच धन्ना लाल भील,पंचायत समिति सदस्य व पूर्व सरपंच बुधपुरा देवलाल चांदना, बूंदी छात्रसंघ अध्यक्ष कैलाश गुर्जर, खड़ीपुर पटेल सोहनलाल, डाबी से गोरु बंजारा, शीशुपाल बैंसला राजपुरा,धोरेला से कल्याण गुर्जर, श्री किशन, गुड्डा से छोटू लाल, नारायण, सूतडा से छोटू लाल गुर्जर, खेड़ा से गिरधारी लाल, नरौली से सुखदेव, शैतान सिंह, जीएसएस अध्यक्ष मदन लाल गुर्जर, भोपाल सिंह, सहित सैकड़ों लोग उपस्थित हुए और सर्वसम्मति से मनोहर सिंह के झूठे परिवाद की जांच और देवलाल चांदना को उनके स्वामित्व की जमीन वापस देने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया ।

क्या मंत्री के रसूख के आगे स्थानीय पुलिस कर पाएगी निष्पक्ष जांच?

आखिर क्यूँ हुआ था किशन मेवाड़ा हत्याकांड?

कौन-कौन लोग थे इस हत्याकांड मे शामिल?

क्या अवैध खनन तो नहीं है इस जमीन पर कब्जे की असली वजह?

आखिर कौन है जो अपने अतीत मे जाकर, इतिहास दोहराना चाहता है?